MONAD UNIVERSITY

Established by UP State Govt. Act No. 23 of 2010 & U/S 2(f) of U.G.C. Act. 1956.
NH-24, Delhi Hapur Road, P.O. Pilkhuwa, Distt. Hapur - 245304 (U.P.)

Ref. No.: MU/Reg/Cir./006/2021 **Dated:** 19.04.2021

कार्यालय आदेश

विषयः– **कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय संचालित किए जाने सम्बन्धी प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक माननीय विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या–1052/सत्तर–3–2021–08(20)/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2021, 01.04.2021 एवं 26.03.2021 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या MU/Reg/113/20-021 दिनांक 01.12.2020 द्वारा गठित **"कोविड–19 प्रकोष्ठ"** (आदेश की छायाप्रति संलग्न) के अध्यक्ष को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे समिति के सदस्यों के साथ मिलकर उक्त पत्रों में शासन द्वारा उल्लिखित सुझावों का अनुकरण करते हुये विश्वविद्यालय परिसर में उन सुझावों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। कोविड–19 की रोकथाम हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं, जिनका पालन कराया जाना नितान्त आवश्यक है:–

1. कोविड–19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों को स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु समुचित उपाय किए जायें।
2. विश्वविद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ–साथ हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात् ही छात्रों/आगन्तुकों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। विश्वविद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
3. परिसर में अन्दर–बाहर आने–जाने वालों के लिये कतार का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये, जिसमें छः फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाया जाय।
4. बायोमैट्रिक्स उपस्थिति के बाजाय सम्पर्क रहित उपस्थिति के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।
5. संस्थान में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस हेतु पूर्व से ही अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जायें।
6. शिक्षकों/छात्रों/कार्मिकों के लिए रूमाल/टिशू पेपर या कोहनी में खांसने या छींकने तथा चेहरा, आंख, मुंह, नाक और कान को छूने से बचने हेतु जागरूक किया जाये।
7. सफाई स्टाफ/कार्मिकों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस कवर/मास्क हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
8. यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुये घर वापस भेज दिया जाय। छात्रों और स्टाफ में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल उसकी जाँच करायी जाय और परिणाम का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाय।
9. विश्वविद्यालय में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ०प्र० द्वारा जारी प्रोटोकाल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. दूसरों के साथ भोजन और बर्तन साझा करने से बचने के लिए सभी छात्र/छात्राओं/शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाय।
11. विश्वविद्यालय में किसी भी बाहरी विक्रेता को परिसर के भीतर या प्रवेश द्वार/बिन्दु पर कोई भी खाने की चीज बेचने की अनुमति प्रदान न की जाय।

समिति कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक 15वें दिन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं कुलपति कार्यालय को उपलब्ध करायें।

(कर्नल डी०पी० सिंह)
कुलसचिव

<u>प्रतिलिपिः—</u>
1. माननीय कुलपति कार्यालय को अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक।
3. परीक्षा विभाग।
4. छात्र कल्याण अधिष्ठाता।
5. मानव संसाधान विभाग।
6. कोविड प्रकोष्ठ सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कर्नल डी०पी० सिंह)
कुलसचिव